

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

श्री. हरजीराम छत्र सोरधनसाम जारि बनाम श्री. गजानराम छत्र दीरसाम जाहि
जार मिगसी चड भैखाब तछ शिव जार मिगसी चड भैखाब तछ
शिव व अल (१)

किस्म मुकदमा... राजस्व बाट... अधि. मुकदमा नम्बर... / 2019...

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/11/2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री. जे. प्रसिद सिपागा छत्र</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/11/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	<p>Reg. A. 12 2425-2428 19/11/2019</p>
23/11/19	<p>पत्रावली पेडा हुई</p> <p>वादी अधिवक्ता अपी।</p> <p>पत्रावली वास्ते प्रतिवादी को जरिये RA 9 के रसीदो का इन्तजार होकर दि. 13/12/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
13/12/20	<p>पत्रावली पेडा हुई</p> <p>वादी अधिवक्ता अपी।</p> <p>पत्रावली वास्ते प्रतिवादी को जरिये RA 9 के रसीदो का इन्तजार होकर दि. 23/12/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	

माम को जारी हुए

तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तागील
में जारी हुए

11.05.26

पत्रावली पेंरा / काकुलाय अनुपाचित |
पत्रावली में प्रभावी पेंरवी हेतु न्यायालय समय
में प्रथमपक्ष अधिवक्ता को हुकम रखकर आवाजे
दी जाने के बाद अनुपाचित / पत्रावली में
प्रभावी पेंरवी नहीं होने तथा अनुपाचित
रहने से, पत्रावली उली ररेज पर अदम
पेंरवी व अदम हाजरी में खगरेज की जाती है।

पत्रावली पेंरल सुमार लोक, नंबर से
कम लोक दाखिल रहते हों।


सहायक कलक्टर
शिव (बाइमेर)